

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
प्रेस विज्ञप्ति

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, अधिनियम, 2002 एवं झारखण्ड अधिविद्य परिषद् (संशोधित) अधिनियम, 2006 के अध्याय 2 की धारा-(4) 1 के आलोक में निर्गत झारखण्ड अधिविद्य परिषद् के सदस्यों के चयन हेतु पूर्व के प्रेस विज्ञप्ति संख्या-PR-203130 को निरस्त करते हुए पुनः संलग्न विहित-प्रपत्र में स्वच्छ आवेदन आमंत्रित किया जाता है। निम्नलिखित अर्हता प्राप्त व्यक्ति कोटिवार पदों (छः कोटि) में नियुक्ति के लिए अपना आत्मवृत्त (Biodata) सहित विहित-प्रपत्र में आवेदन श्री नवनीत किशोर नन्द, उप सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखण्ड, राँची, MDI भवन (Project Bhawan Dhurwa के निकट) धुर्वा, राँची के कार्यालय में दिनांक-30.06.2020 तक **Speed post or Registered post** के माध्यम से जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं होगा। एतद् सम्बन्धी आवेदन जमा करने हेतु विस्तृत जानकारी, विहित आवेदन प्रपत्र की प्रति झारखण्ड सरकार के आधिकारिक वेबसाईट www.jharkhand.gov.in के मानव संसाधन विकास विभाग (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) के **Advertisement** कॉलम में उपलब्ध है। चयन हेतु पदों की रिक्ति निम्नवत् है-

क्र० सं०	सदस्य	पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1	माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य	1	- कार्यावधि में उत्तम उपलब्धि - अन्य विशेष उपलब्धि
2	ख्याति प्राप्त विद्यानुरागी		- शिक्षा के क्षेत्र में कम से कम 15 वर्षों का अनुभव - शिक्षा के उत्थान हेतु विशेष योगदान/ उपलब्धि
	(a) अनुसूचित जाति	1	
	(b) अनुसूचित जनजाति	1	
	(c) पिछड़ी जाति	1	
	(d) महिला	1	
	(e) अल्पसंख्यक	1	
	(f) दिव्यांग	1	
3	संस्कृत के विद्वान	1	- संस्कृत विषय में 15 वर्षों के शैक्षणिक या प्रशासनिक अनुभव - शिक्षा के उत्थान हेतु विशेष योगदान/ उपलब्धि
4	अरबी, फारसी या उर्दू के विद्वान	1	- अरबी, फारसी या उर्दू विषय में 15 वर्षों का शैक्षणिक या प्रशासनिक क्षेत्र में अनुभव - कार्यावधि में उत्तम उपलब्धि - शिक्षा के उत्थान हेतु विशेष योगदान/ उपलब्धि
5	प्रख्यात एवं अनुभवी शिक्षाविद	1	- शिक्षा के क्षेत्र में कम से कम 15 वर्षों का अनुभव - शिक्षा के उत्थान हेतु विशेष योगदान/ उपलब्धि
6	+2 विद्यालय/ इंटर कॉलेज का प्राचार्य	1	- कार्यावधि में उत्तम उपलब्धि - अन्य विशेष उपलब्धि

परिषद् की सदस्यता काल में मृत्यु, पदत्याग अथवा आकस्मिक रिक्ति होने पर, शेष अवधि के लिए उसी वर्ग के प्रतिनिधि का नाम निर्देशन किया जाएगा।

- Note - 1.** सदस्यों की पदावधि राज्य सरकार के प्रसाद-पर्यन्त शासकीय अधिसूचना की तिथि से 3 वर्षों के लिए होगी।
2. आवेदन केवल विहित प्रपत्र में **Speed post or Registered post** से ही स्वीकार होंगे।
3. पूर्व सदस्य की पदावधि की समाप्ति के पश्चात् तीन वर्षों के लिए पुनर्नियुक्ति हेतु अधिकतम दो पदावधियों के लिए अर्हित होगा।
4. प्रत्येक कोटि के लिए अलग-अलग आवेदन ही मान्य होंगे एवं विभाग द्वारा गठित स्क्रीनिंग समिति का निर्णय सर्वमान्य होगा।

ह०/-
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड अधिविद्य परिषद की सदस्यता हेतु आवेदन प्रपत्र

- आवेदित सदस्यता कोटि -
(कोटि क्रम संख्या - 1, 2, 3, 4, 5 एवं 6)
- नाम -
- पिता/पति का नाम -
- जन्म तिथि -
- लिंग -
- धर्म -
- जाति -
- वैवाहिक स्थिति -
- राष्ट्रीयता -
- वर्तमान पदनाम (यदि कोई हो तो अस्पष्ट उल्लेख करें) -
- पता -
वर्तमान पता -
स्थायी पता -
- ई0मेल आईडी -
- दूरभाष सं0/मोबाईल सं0-
- शैक्षणिक योग्यता -

फोटो
स्वअभिप्रमाणित

क्रमांक	शैक्षणिक स्तर	बोर्ड/विश्वविद्यालय	पूर्णांक	प्राप्तांक	उत्तीर्णता श्रेणी/प्रतिशत	वर्ष	विषय
	Matric						
	I.A/I.Sc/I.Com						
	B.A/ B.Sc/B.Com						
	M.A/M.sc/M.Com						
	Any Other Course/Training						
	Ph.D						

15. शैक्षणिक अनुभव :-

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	सेवा काल	संस्था/विश्वविद्यालय का नाम

16. शोध कार्य -

क्रम संख्या	शीर्षक	विभाग/विश्वविद्यालय	फैलोशिप प्राप्त अथवा नहीं	प्रकाशित/अप्रकाशित

17. अतिरिक्त विशिष्ट कार्य/प्रशासनिक अनुभव/पुरस्कार/ईनाम/उपाधि इत्यादि का विवरण -

क्रम संख्या	विषय	संस्थान	उपाधि इत्यादि का विवरण
1	अतिरिक्त विशिष्ट कार्य		
2	प्रशासनिक अनुभव		
3	पुरस्कार/ईनाम		

घोषणा :-उपर्युक्त दी गई सभी सूचनाए मेरी जानकारी में सही है।

स्थान-
दिनांक-

आवेदक का हस्ताक्षर

नोट :- शैक्षणिक योग्यता/ शिक्षण अनुभव/ शोध कार्य/ विशिष्ट कार्य/ प्रशासनिक अनुभव इत्यादि संबंधित दस्तावेजों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति अवश्य संलग्न करें।